स्पीड पोस्ट

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी. / 1–ए–वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः 616 / व.वा. / वृक्षारोपण / 2023–24 दिनांक 17 / 07 / 2023

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।

विषयः वर्ष 2023–24 के पौधरोपण लक्ष्यों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–641 / आठ–1–23–34बैठक / 2017टी.सी. दि0 12 जुलाई, 2023 एवं उक्त पत्र में उल्लेखित शासन द्वारा निर्गत पत्रांक–603 / आठ–1–23–34बैठक / 2017 टी.सी. दिनांक 19 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा संलग्न प्रारूप–1(छ) (छायाप्रति संलग्न) पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समेकित सूचना शासन एवं इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है :–

1. ऐसे पार्क जिनका ले–आउट में प्राविधान है (प्राधिकरण के अथवा निजी), परन्तु जहाँ पर पेड़–पौधे नहीं हैं, ऐसे पार्कों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाय।
2. बिल्डिंग बाईलॉज में मानचित्र स्वीकृत करते समय वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है, उसका भी कड़ाई से पालन कराया जाय।
3. गत वर्षों में जिन जगहों पर वृहद वृक्षारोपण कराये गये हैं, उनकी विडियोंग्राफी / फोटोग्राफी कराते हुए प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला जाय एवं उसकी सूचना नगर एवं ग्राम नियोजक एवं आवास बन्धु को उपलब्ध करायी जाय।
4. मियावकी पद्वति द्वारा गत वर्ष कराये गये वृक्षारोपण की सूचना एवं फोटोग्राफ्स मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाय एवं इस वर्ष किन–किन स्थानों पर मियावकी पद्वति से पौधे लगवायें जाने है, उसकी भी सूचना भी उपलब्ध करायी जाय।
5. वृक्षारोपण हेतु समस्त आवश्यक तैयारियॉं जैसे–शत प्रतिशत गड्ढों की खुदाई करा ली जाय एवं जितने पौधें की आवश्यकता हो, उसकी मांग सम्बन्धित जनपदों के डी.एफ.ओ. से कर ली जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना शासन एवं इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन को उनके पत्र सं.–641(1) / आठ–1–23–34बैठक / 2017टी.सी. दिनांक 12 जुलाई, 2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक